

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्डुनूं

पीठासीन अधिकारी :- अमीलाल मीणा
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का छापोली,
बनाम

श्री प्रहलाद पुत्र कोलूराम जाति माली निवासी छापोली
तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्डुनूं
अर्तगत घारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956


—:निर्णय:—

प्रकरण संख्या:- 04/21

दिनांक 16.02.2021

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का छापोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2077 में मौजा ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 3370 कुल रकवा 0.01 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 150 वर्ग फिट सरकारी भूमि पर श्री प्रहलाद पुत्र कोलूराम जाति माली निवासी छापोली ने अनाधिकृत रूप से दुकान निर्माण कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि उसका उक्त आराजी पर कदीमी कब्जा काश्त है, कोई नया अतिक्रमण नहीं किया गया है। अप्रार्थी ने अपने खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया है।

पृ. सं. 1


न. तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्डुनूं)

कृ. पृ. उ.

अप्रार्थी उपर सरकारी भूमि वाले ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 3370 कुल रकबा 0.01 है 0 किस्म गै 0 मु 0 चारागाह में से 150 वर्ग फिट भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कदीमी साध्य/सर्वुत पेश नहीं किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दरतावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमण घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रूप से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 3370 कुल रकबा 0.01 है 0 किस्म गै 0 मु 0 चारागाह में से 150 वर्ग फिट सरकारी भूमि पर से श्री प्रहलाद पुत्र कोलूराम जाति माली निवासी छापोली को वेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.01 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 1/- रुपये (अक्षरे रू एक मात्र) वतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार गांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से वेदखल कर रिपोर्ट वेदखली पेश करें तथा जब्तशुदा टैण को राजहक में निलाम कर निलामी राशि बाद स्वीकृति राजकोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

2020-21

12

148

तहसीलदार

उदयपुरवाटी (अमीलमीणा)

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी